


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश


राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(12)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक-13.01.2020 की पालना में श्री अरसद अली खान, अध्यापक लेवल-2, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोमता, जिला-जालौर को प्रतिनियुक्ति पर जिला कार्यालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, सीकर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत 01 वर्ष के लिये लगाये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक, श्री अरसद अली खान, अध्यापक लेवल-2 को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13408/अल्पसंख्यक मामलात/प्रति./2015/143 दिनांक-13.01.20
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जालौर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोमता, जिला-जालौर।
6. श्री अरसद अली खान, अध्यापक लेवल-2, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोमता, जिला-जालौर।
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर